न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–112/2010–11 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम

हरिशचन्द्र द्वारा जगपाल सिंह रावत पुत्र स्व0 हरीश चन्द उर्फ हरि सिंह, निवासी ग्राम पौड़ी, पट्टी नादलस्यूँ, जिला पौड़ी गढ़वाल।

बनाम

1. उदय चन्द, पुत्र श्री भौपू सिंह, निवासी ग्राम पौडी, पट्टी नादलस्यूँ, जिला पौडी गढ़वाल।

2.उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, पौडी।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री पंकज सुन्द्रियाल (अनुपस्थित)

अधिवक्ता उत्तरदाता संख्या–01 : श्री दुर्गा प्रसाद बहुगुणा।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त द्वारा अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा निगरानी संख्या–5/1997–98 उदयचन्द बनाम हरीश चन्द्र (मृतक) व श्रीमती चन्द्रमा उर्फ कीड़ी देवी व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 30–08–2010 के विरूद्व योजित की गई है।

इस निगरानी का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है कि :–

तहसीलदार, पौड़ी की आख्या दिनांक शून्य जिस पर सहायक कलेक्टर/परगनाधिकारी, पौड़ी का पार्श्वांकित आदेश दिनांक 17–09–1997 अंकित है के अनुसार निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा दुरस्ती का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का तहसीलदार, पौड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पौड़ी, पट्टी नादलस्यूं के इबटशन मुन्तखिब खाता नम्बर–100 जिसका पटवारी खतौनी खाता नम्बर–21 में प्रार्थी भूमिधर दर्ज कागजात है। इस खाते की कुल भूमि का योग 66 नाली था जिसमें से विभिन्न विभागों द्वारा भूमि अध्याप्त किये जाने के बाद इस खाते में केवल 50 नाली 4 मुठ्ठी भूमि ही शेष रह गई है। इस भूमि के बराबर हिस्सेदार भौपू पुत्र रामधन 16 नाली 14 मुठ्ठी, श्रीमती सबुरी देवी धर्मपत्नी औगड़ 16 नाली 14 मुठ्ठी एवं कोतवाल सिंह 16 नाली 14 मुठ्ठी के हैं, कि खतौनी खाता नम्बर–21 में कुल हिस्सों का योग 1246 है जबकि सही योग 988 है। इस खाते में उदयचन्द के पास अब मात्र एक नाली 5 मुठ्ठी भूमि (1,5/16नाली) शेष रह गई है क्योंकि बाकी भूमि उसके द्वारा बय कर दी गई है। इसके अतिरिक्त मूल खातेदारान द्वारा भी खाते की भूमि बय की गई है और इस खाते में केवल 50 नाली 4 मुठ्ठी भूमि शेष है

जिस सही हिस्सा कसी कर दी जाय तथा उदयचन्द का हिस्सा उपरोक्तानुसार संबंधित पटवारी खतौनी खाता में एक नाली पांच मुठ्ठी अंकित करने के आदेश दिये जायं। तहसीलदार, पौडी की रिपोर्ट पर विपक्षी/उत्तरदाता द्वारा अपनी आपत्ति दिनांक 09–01–98 को प्रस्तुत की। उभयपक्षों की बहस सुनने के पश्चात सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, बारहस्यूँ, पौडी गढ़वाल द्वारा निर्णयादेश दिनांक 31–01–1998 से खसरा नम्बर–21 में उज्रदार उदयचन्द्र के पूर्व हिस्से 33, 12/16 नाली में से विक्रय एवं अधिग्रहण हुई 32,5/16(बत्तीस नाली पांच मुठ्ठी) भूमि को कम कर शेष 1,7/16 नाली (एक नाली सात मुठ्ठी) भूमि तथा हरीश चन्द्र सिंह एवं चन्द्र सिंह पुत्रगण कोतवाल सिंह के हिस्से में कमशः 10,2/16 नाली (दस नाली दो मुठ्ठी) एवं 11,2/16(ग्यारह नाली 2 मुठ्ठी) भूमि प्रविष्ट कर तद्नुसार खातेदार उदयचन्द्र के 23 हिस्से, हरीशचन्द्र के 162 हिस्से तथा चन्द्र सिंह के 178 हिस्से अंकित किये जाने एवं अन्य क्रेता तथा फरीसन्दा (खातेदारों) के हिस्से भी उनके स्वामित्व के अनुसार दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया। इस निर्णयादेश दिनांक 31–01–1998 के विरूद्व उत्तरदाता द्वारा अपर आयुक्त(प्रशासन), गढ़वाल मण्डल, पौडी के समक्ष निगरानी योजित की गई जिसे निर्णयादेश दिनांक 30–08–2010 से स्वीकार कर अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 31–01–1998 निरस्त किया गया तथा निर्देशित किया गया कि पक्षकार चाहें तो अनुकूल सक्षम न्यायसालय में अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद दाखिल कर सकते हैं। अपर आयुक्त द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 30–08–2010 के विरूद्व यह निगरानी योजित की गई है।

नियत तिथि पर निगरानीकर्ता की ओर से किसी के उपस्थित न होने पर मैंने उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं एवं संगत पत्रावलियों का सम्यक अध्ययन किया।

उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में उन्हीं तथ्यों को सूक्ष्म रूप से दोहराया है जो उन्होने विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आपत्ति एवं अवर निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत लिखित बहस में उल्लिखित किया है।

विचारण न्यायालय की मूल वाद पत्रावली संख्या–6/97 अन्तर्गत धारा–33/39 भू0रा0अधि0 के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि तहसीलदार की आख्या जो कि दिनांकरहित है तथा जिस पर दिनांक 17–09–97 को दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्षों को अपना–अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु सम्मन जारी करने के निर्देश सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, पौड़ी द्वारा दिये गये हैं से सम्बन्धित निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–33/39 भू0रा0अधि0 का कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नही है और न ही इस आख्या को प्रस्तुत करने से पूर्व सहखातेदारों का पक्ष सुनने अथवा इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण है। पत्रावली में कोई ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य भी मौजूद नही है जिसके आधार पर आदेश दिनांक 31–01–1998 पारित किया गया है। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम

श्रेणी/परगनाधिकारी, पौड़ी ने तहसीलदार की आख्या पर ही विश्वास कर निर्णयादेश दिनांक 31–01–1998 पारित किया है।

विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ने आक्षेपित निर्णयादेश के अंतिम प्रस्तर में सविस्तार विवेचन व विश्लेषण कर यह उल्लेख किया है कि विचारण न्यायालय ने जो निर्णयादेश पारित किया है वह दस्तावेजी साक्ष्य के बिना पारित किया है। मूल पत्रावली के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि इसमें ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह सिद्ध हो सके कि राजस्व अभिलेखों में कलमी भूल हुई हो। मात्र तहसीलदार की आख्या के आधार पर निर्णयादेश दिनांक 31–01–1998 पारित किया गया है तथा धारा–33/39 भू0रा0अधि0 के प्राविधानों के तहत विधिवत कार्यवाही सम्पन्न नही की गई है। तद्नुसार विद्वान अपर आयुक्त के आक्षेपित निर्णयादेश दिनांक 30–08–2010 में कोई विधिक एवं तात्विक अनियमितता नही परिलक्षित होती है। विद्वान अपर आयुक्त ने आक्षेपित निर्णयादेश क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विधिक रूप से पारित किया है तथा इसमें कोई तात्विक एवं विधिक अनियमितता नही की गई है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित सहखातेदारों के द्वारा वादग्रस्त भूमि में धारित अंश को एक सरसरी कार्यवाही में परिवर्तित नही किया जा सकता है। अंश का सम्बन्ध स्वत्व से है। स्वत्व का बिन्दु धारा–33/39 भू0रा0अधि0 की परिधि में नही आता है। फलस्वरूप आक्षेपित निर्णयादेश दिनांक 30–08–2010 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है तथा निगरानी अस्वीकृत होने योग्य है।

आदेश

निगरानी अस्वीकृत की जाती है। अवर न्यायालयों की पत्रावलियां वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **08–02–2018** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)